15000+ Followers

शैक्षिक समाचार राजस्थान

शैक्षिक समाचार राजस्थान

शैक्षिक समाचार राजस्थान

कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक शिविरा/प्रार/शैक्षि/एवी/ विद्यालय व्यवस्था/2017/26 दिनांक 6/3/17

कार्यालय आदेश

राज्य में संचालित राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सुचारू संचालन व दैनिक कार्यों के निष्पादन हेतु विद्यालयों के कार्यभार के संबंध में इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 20.01.2017 में संशोधन किये जाकर निम्नानुसार संशोधित दिशा-निर्देश जारी किये जाते है।

1 किसी भी उप्रावि/प्रावि में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर कार्मिक कार्यरत होने की स्थिति में संस्था प्रधान का दायित्व/प्रभार उसके पास रहेगा ।

2 वरिष्ठ अध्यापक का पद रिक्त होने अथवा स्वीकृत नहीं होने पर वरिष्ठतम अध्यापक/प्रबोधक पद पर कार्यरत कार्मिक द्वारा संस्था प्रधान के दायित्व का निर्वहन किया जावेगा ।

3 वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/प्रबोधक का पद रिक्त होने की स्थिति में शारीरिक शिक्षक द्वारा संस्था प्रधान के दायित्व का निर्वहन किया जायेगा ।

4 उपर्युक्तानुसार बिन्दु संख्या 1 से 3 तक के अलावा अन्य स्थिति होने पर वरिष्ठतम शिक्षाकर्मी/पैराटीचर/ट्रेनी अध्यापक के पद पर कार्यरत कार्मिक द्वारा संस्था प्रधान के दायित्व का निर्वहन किया जावेगा। कार्मिक की वरिष्ठता का निर्धारण सम्पूर्ण सेवा अवधि के आधार पर होगा ।

आज्ञा से
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/प्रारं/शैक्षि/एवी/ विद्यालय व्यवस्था/2017/ दिनांक 6/3/17

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1 उपनिदेशक, प्रारि राजस्थान, समस्त।

2 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारि राजस्थान समस्त।

3 कार्यालय प्रति।

अतिरिक्त निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

शैक्षिक समाचार राजस्थान

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक, श्रीगंगानगर

क्रमांक :– जिशिअ/मा/गंगा/सामा0/2017–18 5PL5 दिनांक :– 10/8/2017

समस्त संस्था प्रधान

जिला श्री गंगानगर।

विषय :– विद्यालय प्रभार के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संस्था प्रधान के अवकाश/मुख्यालय छोड़ने पर संस्था प्रधान द्वारा जिसे संस्था का कार्यभार सौंपा जाए वो उस विद्यालय के वरिष्ठतम कार्मिक को ही विद्यालय प्रभारी बनाया जाए। कई विद्यालयों में ऐसी शिकायतें आ रही है कि कनिष्ठतम को विद्यालय प्रभारी बनाया जा रहा है, जिससे वरिष्ठतम और कनिष्ठतम में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और विद्यालय का माहौल भी खराब हो जाता है। अतः भविष्य में विभागिय नियमानुसार ही वरिष्ठतम कार्मिक को प्रभारी बनाया जाए और आदेश पंजिका में भी लिखित में आदेश दर्ज किए जाकर संस्था से प्रस्थान किया जाए। ऐसा न करने पर संस्था प्रधान के खिलाफ विभागिय नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

10/8/2017

(तेजा सिंह)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक, श्रीगंगानगर

21-4-16.jpg

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा जयपुर

क्रमांकः–जिशिअ / प्राशि / जय / संस्था 2–3 / फा–25 / [illegible] / 2016 दिनांक 5–8–2016

ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी
पंचायत समिति समस्त

विषयः– विद्यालय में प्रधानाध्यापक का पद रिक्त होने पर चार्ज बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जिन विद्यालयों में प्रधानाध्यापक (वरिष्ठ अध्यापक या पातेय वेतन) कार्यरत नहीं है, उन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चार्ज का हस्तान्तरण प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र दिनांक 21.04.2016 के बिन्दू संख्या सी व डी के अनुसार जिस क्रम में वरिष्ठ अध्यापक के पद का विषय निर्धारित किया गया है उसी क्रम में लेवल द्वितीय के अध्यापक को चार्ज दिया जावेगा एवं प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों में से वरिष्ठतम को चार्ज दिया जावेगा।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा,जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–
1. उपनिदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर।
2. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा,जयपुर

शैक्षिक समाचार राजस्थान

राजस्थान सरकार

शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकःप.2(1)शिक्षा–2/2016पार्ट जयपुर, दिनांक 8-12-2016

:: स्थाई आदेश ::

प्रारंभिक शिक्षा के अन्तर्गत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में प्रधानाचार्य, डाईट के जिले में रिक्त पद होने की स्थिति में स्वतः कार्यभार ग्रहण हेतु समय–समय पर दिशा–निर्देश जारी किये जाते रहे है किन्तु अधिकारियों द्वारा उक्त आदेशों की पालना नही की जाकर अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने पर संबंधित अधिकारी रिक्त पद का कार्यभार नही संभालते है।

अतः जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में प्रधानाचार्य के रिक्त पदों का स्वतः कार्यभार ग्रहण किये जाने हेतु पुनः निम्नानुसार निर्देश जारी किये जा रहे हैः–

क्र0सं0	पद नाम	सक्षम अधिकारी जिसे स्वतः कार्यभार ग्रहण करना है
01	प्रधानाचार्य, डाईट, (समकक्ष जि0शि0अ0)	01. प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का पद रिक्त होने पर जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शिक्षा स्वतः ही कार्यभार ग्रहण करेंगें 02. जिले में जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शिक्षा के 02 पद होने पर जि0शि0अ0, प्रा0शिक्षा–प्रथम स्वतः कार्यभार ग्रहण करेगें तथा जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शिक्षा–प्रथम का पद रिक्त होने पर जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शिक्षा–द्वितीय स्वतः कार्यभार ग्रहण करेगें। 03. जिलें में जिला शिक्षा अधिकारी प्रा0शिक्षा के दोनों पद रिक्त होने की स्थिति में जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक स्वतः कार्यभार ग्रहण करेगें। 04. जिले में जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक के दो पद होने पर जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक–प्रथम तथा जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक–प्रथम का पद रिक्त हो ने पर जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक–द्वितीय स्वतः ही कार्यभार ग्रहण करेगें। 05. जिले के जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा के सभी पद रिक्त होने की स्थिति में संबंधित डाईट के उप प्रधानाचार्य स्वतः कार्यभार ग्रहण करेगें तथा उप प्रधानाचार्य का पद रिक्त होने की स्थिति में डाईट में वरिष्ठतम व्याख्याता स्वतः कार्यभार ग्रहण करेगें।

नोटः– उक्त व्यवस्था के अतिरिक्त यदि रिक्त पद के चार्ज के संबंध में राज्य सरकार द्वारा कोई आदेश जारी किया गया है तो राज्य सरकार का आदेश प्रभावी होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(कमलेश अहलावत)
शासन उप सचिव,
माध्यमिक शिक्षा

क्रमशः लगायत 02

[illegible] कार्यभार संभालने के कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं कि स्थानान्तरण प्रस्तुत करता है अथवा किसी अन्य स्थान को प्रस्थान कर जाता है। वह अवकाश के लिए प्रार्थना-पत्र स्पष्ट है और राज्य सरकार ने इसे स्पष्ट करते हुए आदेश भी किये हैं। इस प्रकार की स्थिति में अपेक्षित कार्यवाही ही कार्यभार संभाल लेना चाहिए और इसकी प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिये कि स्थानान्तरित व्यक्ति स्वयं आकर ही उसे कार्य भार संभलवाये। ज्यों ही स्थानान्तरण पर आने वाला व्यक्ति कार्य संभाल लेता है तब स्थानान्तरित व्यक्ति अपने आप ही पद भार से मुक्त हो जाता है। इस स्थिति पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में भी विचार किया गया है जिसके निर्णय से भी उपर्युक्त तथ्य स्पष्ट हो जाता है।

अतः लेख है कि भविष्य में स्थानान्तरण पर आने वाले व्यक्ति को पद भार ग्रहण करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिए और राज्य सरकार के आदेश तथा उच्च न्यायालय के निर्णय को देखते हुए आपके द्वारा तुरन्त ही कार्यवाही करनी चाहिए।[1]

विभागीय निर्णय—प्रायः देखने में आया है कि अधिकारीगण स्थानान्तरण/अवकाश या अन्य कारणों से जब वह अपने पद से कनिष्ठ अधिकारी को कार्यभार स्थानान्तरण करता है तो अपने से कनिष्ठ का चयन नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में असन्तोष होता ही है अपितु कार्यकुशलता पर कुप्रभाव भी पड़ता है, जिसका परिणाम शिक्षण [illegible] छात्रों को भुगतान करना पड़ता है। अतः निर्देश दिये जाते हैं कि जब भी किसी अधिकारी को किसी भी कारणवश कार्यभार हस्तान्तरण करना पड़े तो वह निम्न प्रक्रिया पर ध्यान देकर ही कार्यभार हस्तान्तरण [illegible]

क्रम	पदनाम पद	कार्यभार हस्तान्तरण किस अधिकारी को देय होगा
1.	निदेशक, राज्य शैक्षणिक संस्थान व प्रशि. संस्थान, [illegible]	संयुक्त निदेशक
2.	प्रधानाचार्य, राज[illegible] शिक्षक प्रशि. महाविद्यालय/विद्यालय	उप प्रधानाचार्य/उप प्रधानाचार्य न होने की स्थिति में प्रोफेसर/शिक्षक प्रशि. विद्यालयों में वरिष्ठतम उपलब्ध प्रधानाचार्य (पुरुष/म.)
3.	उपनिदेशक (माध्यमिक/प्रारम्भिक) मण्डल स्तर	1. उपनिदेशक (प्रारम्भिक/माध्यमिक) मण्डल स्तर 2. अन्य उपनिदेशक स्तर का पद जो मण्डल मुख्यालय पर हो 3. जि.शि.अ. स्तर का अधिकारी जो उपनिदेशक (माध्यमिक) कार्यालय में कार्यरत हो। 4. जि.शि.अ. (माध्यमिक) प्रथम/माध्यमिक-द्वितीय 5. जि.शि.अ. स्तर का अधिकारी जो उपनिदेशक (प्रारम्भिक) मण्डल स्तर पर कार्यरत हो। 6. जि.शि.अ. (प्रारम्भिक) जो मण्डल मुख्यालय पर कार्यरत हो। 7. प्रधानाचार्य, डाइट

शैक्षिक समाचार राजस्थान

1. एफ. 17(127) शिक्षा/ग्रुप2/81 दिनांक 26-7-1982.
2. शिविरा/माध्य/संस्था/ए-1/कार्यभार हस्तान्तरण/2001-02 दिनांक 12-8-2002.

पद का भार

- किसी भी सरकारी कर्मचारी के पद का भार उसके मुख्यालय पर ही हस्तान्तरित किया जावे, जहाँ कार्यभार देने वाला तथा कार्यभार लेनें वाला दोनों कर्मचारी उपस्थित हों।
- पदभार हस्तांतरित करने में जानबूझकर विलम्ब करने पर कार्यभार देने वाला कर्मचारी असाधारण अवकाश पर माना जाएगा, जब तक सक्षम अधिकारी द्वारा सवैतनिक अवकाश स्वीकृत नहीं कर दिया जाता।
- कार्यभार हस्तान्तरण की रिपोर्ट पर उच्चतर प्रधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर कराया जाना अनिवार्य है।

[illegible] होने पर निलम्बन

वरिष्ठता के आधार पर तय होगा संस्थाप्रधान का प्रभार

एकरूपता लाने की कवायद

शैक्षिक समाचार

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
rajasthanpatrika.com

बांसवाड़ा. राजकीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वरिष्ठ अध्यापक का पद रिक्त होने, समान स्तर के एक से अधिक शिक्षक कार्यरत होने और संस्थाप्रधान का पदभार देने में सामने आने वाली दिक्कतों से निजात पाने निदेशालय स्तर पर कवायद की जा रही है।सामान्यतया जिलों में संस्थाप्रधान का प्रभार वरिष्ठ अध्यापक का पद रिक्त होने पर पूर्व या बाद में नियुक्त किसी भी शिक्षक को दे दिया जाता है। वरिष्ठता लांघकर दिए जाने वाले प्रभार के चलते अलग-अलग जिलों में संस्थाप्रधानों के पदों में एकरूपता नहीं रहती है। इसे देखते हुए प्रारंभिक शिक्षा के निदेशक की ओर से प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सुचारू और व्यवस्थित संचालन के लिए निर्देश दिए गए हैं।

यह दिए निर्देश: किसी भी प्रावि-उप्रावि में वरिष्ठ अध्यापक होने पर संस्थाप्रधान का प्रभार उसी के पास रहेगा। वरिष्ठ अध्यापक का पद रिक्त या स्वीकृत नहीं होने पर वरिष्ठतम अध्यापक पद पर कार्यरत कार्मिक संस्थाप्रधान का दायित्व संभालेंगे। वरिष्ठ अध्यापक या शिक्षक नहीं होने पर शारीरिक शिक्षक यह जिम्मेदारी निभाएंगे और शारीरिक शिक्षक के भी नहीं होने पर प्रबोधक संस्थाप्रधान का कार्यभार देखेंगे। निदेशक के आदेशानुसार वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक, शारीरिक शिक्षक और प्रबोधक के भी विद्यालय में पदस्थापन नहीं होने पर वरिष्ठतम शिक्षाकर्मी, पैराटीचर संस्थाप्रधान का दायित्व संभालेंगे।

क्रम	धारित पद	कार्यभार हस्तान्तरण किस अधिकारी को देय होगा
4.	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) प्रथम एवं द्वितीय एवं प्रारम्भिक[1]	1. उसी जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) प्रथम, द्वितीय 2. जिले में कार्यरत जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.) 3. जि.शि.अ. स्तर का अधिकारी यदि मण्डल मुख्यालय के उपनिदेशक (माध्यमिक) कार्यालय में कार्यरत हो। 4. जि.शि.अ. स्तर का अधिकारी यदि मण्डल मुख्यालय पर हो एवं उपनिदेशक (प्रारम्भिक) शिक्षा में कार्यरत हो।
5.	प्रधानाचार्य (पुरुष/महिला)	5. प्रधानाचार्य, डाइट 6. कार्यालय में कार्यरत वरिष्ठतम अति जि.शि.अ. 7. मुख्यालय का वरिष्ठतम प्रधानाचार्य (सीमांकित) 8. सहायक प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका। सहायक प्रधानाध्यापक न होने की स्थिति में उस स्थान पर कार्यरत वरिष्ठतम प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या।
6.	प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका उच्च माध्यमिक विद्यालय (पुरुष/महिला)	1. विद्यालय में कार्यरत सहायक प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका। विद्यालय में सहायक प्रधानाध्यापक नहीं होने की स्थिति में वरिष्ठतम स्कूल व्याख्याता। 2. पारी प्रभारी वरिष्ठतम स्कूल व्याख्याता।
7.	प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका माध्यमिक विद्यालय (पुरुष/महिला)	वरिष्ठतम अध्यापक।

27. स्थानान्तरण की कार्यवाही पूरी होने पर कार्य हस्तान्तरण प्रतिवेदन शीघ्र भेज देना चाहिए।

विभागीय निर्देश-1

[2]स्थानान्तरण प्रकरणों में स्थगन/यथास्थिति आदेश की क्रियान्विति

परिपत्र—राज्यादेशों व अन्य प्रशासनिक कारणों के आधार पर किये जाने वाले स्थानान्तरणों के विरुद्ध लोकसेवकों द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की शरण ली जाती है एवं माननीय अधिकरण द्वारा जिन प्रकरणों में आदेश क्रियान्विति पर स्थगन का आदेश पारित किया जाता है उन प्रकरणों में नीतिगत कार्यवाही की जाए इस सम्बन्ध में शासन से स्पष्टता चाही गई थी। शासन द्वारा अपने आदेश क्रमांक : प.17(11) शि-2/02 दिनांक 5-8-02 द्वारा यह सूचित किया गया है कि राज्यादेशों व अन्य प्रशासनिक कारणों के आधार पर किए जाने वाले स्थानान्तरणों के विरुद्ध अपील अधिकरण द्वारा पारित निर्णय/आदेश क्रियान्विति

संस्थाप्रधान की जिम्मेदारी निभाने के आदेश में बदलाव, प्रबोधकों को भी माना समान

20 जनवरी के आदेश में दबाव के बाद संशोधन

भास्कर संवाददाता | बांसवाड़ा

प्रारंभिक शिक्षा विभाग की स्कूलों में संस्थाप्रधान की जिम्मेदारी देने को लेकर 20 फरवरी को जारी आदेश में बदलाव किया है।

प्रबोधकों के दबाव के बाद निदेशक ने नया संशोधित आदेश जारी कर प्रबोधकों को संस्थाप्रधान की जिम्मेदारी देने के मामले में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के समकक्ष माना है। हालांकि अभी भी इस संबंध में निदेशक पीसी किशन ने इस तरह के किसी भी आदेश को जारी करने से इंकार किया है। लेकिन अतिरिक्त निदेशक ने आदेश करना बताया है।

दरअसल 20 फरवरी को जारी आदेश में बताया गया था कि किसी स्कूल में प्रधानाध्यापक नहीं है, तो स्कूल में कार्यरत तृतीय श्रेणी शिक्षक ही संस्थाप्रधान होगा। तृतीय श्रेणी शिक्षक न हो तो शारीरिक शिक्षक संस्थाप्रधान की जिम्मेदारी निभाएगा। ये सभी न हो तो प्रबोधक को संस्थाप्रधान की जिम्मेदारी दी जाएगी। इस तरह के जारी आदेश के बाद प्रबोधकों में गहरी नाराजगी हुई थी।

मामले को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया गया था। इसी को लेकर 6 मार्च को अतिरिक्त निदेशक के हस्ताक्षर से एक ओर आदेश जारी हुआ। जिसमें पूर्व आदेश में बदलाव किया है।

नया आदेश वरिष्ठता से तय होगी जिम्मेदारी

हाल ही में जारी आदेश में अतिरिक्त निदेशक हरीप्रसाद ने बताया कि प्रबोधक और शिक्षक के बीच वरिष्ठता से जिम्मेदारी तय होगी। अतिरिक्त निदेशक के मुताबिक स्कूल में संस्थाप्रधान का पद रिक्त है, तो की है, तो प्रबोधक को और शिक्षक की नियुक्ति पहले की है तो शिक्षक को संस्थाप्रधान की जिम्मेदारी मिलेगी। हालांकि इस आदेश से स्पष्ट हो गया है कि विभाग ने प्रबोधक और तृतीय श्रेणी शिक्षक को समकक्ष मान लिया

कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

माध्यमिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत संचालित विद्यालयों के संचालन हेतु जारी दिशा–निर्देशों के बिन्दु संख्या 2.16 में कक्षा 1 से 12 के विद्यालयों में (कक्षा 1 से 8 तक के लिए) वरिष्ठतम व्याख्याता को तथा कक्षा 1 से 10 तक के विद्यालयों में (कक्षा 1 से 5 के लिए) वरिष्ठतम अध्यापक को प्रभारी (हैड टीचर) का प्रभार देने का उल्लेख किया गया है।

संस्थाप्रधानों (प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक) द्वारा समय–समय पर आयोजित बैठकों/प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उक्त दिशा–निर्देशों के सम्बन्ध में विद्यालय का प्रभावी संचालन बाबत् व्यावहारिक बनाने के सम्बन्ध में विभाग का ध्यान आकर्षित किया है।

इस क्रम में परीक्षण कर, विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि सम्बन्धित संस्थाप्रधान (प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक) कक्षा 1 से 8/1 से 5 की कक्षाओं के प्रभावी एवं सुसंचालन के आशय से वरिष्ठतम व्याख्याता/वरिष्ठतम अध्यापक के स्थान पर विद्यालय में कार्यरत वरिष्ठतम व्याख्याता/वरिष्ठतम अध्यापक के अतिरिक्त अन्य व्याख्याता/अध्यापक को भी हैडटीचर का प्रभार देने के लिए अधिकृत किया जाकर सम्बन्धित प्रभारी (हैडटीचर) के सम्बन्ध में कर्तव्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक कार्यवाही कर सकेंगे।

5/11/2015
(सुवालाल)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

शैक्षिक समाचार राजस्थान

क्रमांक शिविरा–मा/माध्य/अ–1/समन्वितवि./21312/वो–2/2014 दिनांक 05.11..2015

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
2. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा
3. समस्त उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा
5. प्रभारी, सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा, विभागीय मेल पर अपलोड करने हेतु
6. समस्त संस्थाप्रधान, जरिये विद्यालय मेल आईडी
7. समस्त अनुभाग अधिकारी, कार्यालय हाजा
8. रक्षित पत्रावली
9. समस्त संस्था प्रधान।

उपनिदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यभार पद रिक्त होने की स्थिति में लागू होंगे आदेश, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने तय की गाइड लाइन

वरिष्ठ शिक्षक भी संभालेंगे संस्था प्रधान की जिम्मेदारी

भास्कर संवाददाता | भरतपुर

जिले के सरकारी स्कूलों में संस्था प्रधान के दायित्व को लेकर अब एकरूपता बनेगी। इसके चलते अब पद रिक्त होने की स्थिति में वरिष्ठ अध्यापक भी संस्था प्रधान का जिम्मा संभाल सकेगा।

इस संबंध में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक पीसी किशन ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इससे पहले संस्था प्रधान के दायित्व को लेकर एकरूपता का अभाव होने से कार्यभार को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं थी। अब अगर प्राथमिक-उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संस्था प्रधान का पद रिक्त है तो उस स्कूल में वरिष्ठ अध्यापक संस्था प्रधान का दायित्व संभालेगा। यही नहीं निदेशक ने वरिष्ठता का आधार भी तय कर दिया है। इसके चलते वह शिक्षक जिसकी संपूर्ण सेवा अवधि अधिक है। वह उस विद्यालय में संस्था प्रधान का जिम्मा संभाल सकेगा।

नई गाइड लाइन के अनुसार प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वरिष्ठ अध्यापक पद पर कार्मिक कार्यरत होने पर संस्था प्रधान का दायित्व उसके पास रहेगा। जबकि वरिष्ठ अध्यापक का पद रिक्त होने व स्वीकृत नहीं होने पर इस पद पर कार्यरत कार्मिक संस्था प्रधान का दायित्व निभाएगा। इसके अलावा सभी पद रिक्त होने पर वरिष्ठतम शिक्षाकर्मी पैराटीचर, ट्रेनी अध्यापक के पद पर कार्यरत कार्मिक संस्था प्रधान का कार्य संभालेगा। इससे अलग-अलग जिलों में अब तक जारी रिक्त पद पर संस्था प्रधान की जिम्मेवारी तय करने के नियमों में एकरूपता आएगी। साथ ही संस्था प्रधान का दायित्व तय करने को लेकर मनमानी भी नहीं होगी। हर जिले में अलग-अलग नियमों के होने से यह गाइडलाइन तय की गई है।

प्रायोगिक परीक्षाओं में फोटो आईडी दिखानी होगी। इससे फर्जीवाड़े पर भी अंकुश लग सकेगा। फिलहाल बोर्ड की प्रायोगिक व वार्षिक परीक्षाओं को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई हैं। -बंशीधर गुर्जर, उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा

इधर, प्रायोगिक परीक्षाओं में फोटो आईडी आवश्यक

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर कक्षा 12 के विभिन्न विषयों की शुरू हुई प्रायोगिक परीक्षाओं को निष्पक्ष संपन्न करवाने के लिए शिक्षा विभाग इस बार प्रभावी मॉनिटरिंग करेगा। प्रायोगिक परीक्षा के दौरान इस बार बाह्य परीक्षक परीक्षार्थी की फोटो युक्त आईडी देखेंगे तथा शाला प्रधान बाह्य परीक्षकों को परीक्षार्थियों के मूल आवेदन पत्र उपलब्ध करवाएंगे। जिनसे आईडी (पहचान-पत्र) हस्ताक्षर का मिलान किया जाएगा। शाला प्रधान सभी परीक्षार्थियों को मूल आईडी साथ रखने के लिए भी पाबंद करेंगे। जिले में प्रायोगिक परीक्षाएं संपन्न करवाने के लिए शिक्षा विभाग की उच्च माध्यमिक स्तर में कंप्यूटर विज्ञान, इंफोर्मेटिक प्रेक्टिस, मल्टीमीडिया वेबटेक गृह विज्ञान विषयों के बाह्य परीक्षक नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरु हो गई है ताकि इन विषयों की प्रायोगिक परीक्षाएं समय पर पूरी करवाई जा सके। जिले में संचालित निजी स्कूलों में बोर्ड कक्षाओं की प्रायोगिक परीक्षा के लिए शिक्षा विभाग की ओर से फ्लाइंग टीम निरीक्षण करेगी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से निर्देश जारी किए गए है कि प्रायोगिक परीक्षाओं के दौरान किसी प्रकार की लापरवाही मिलने पर बोर्ड के नियमानुसार कार्रवाई होगी।

शैक्षिक समाचार राजस्थान

कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

आदेश

यह पाया गया है कि राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वरिष्ठ अध्यापक का पद रिक्त होने एवं समान स्तर के एकाधिक शिक्षक कार्यरत होने की स्थिति में संस्था प्रधान के प्रभार के संबंध में समस्त जिलों में एकरूपता का अभाव है।

अतः राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सुचारू एवं सुव्यस्थित संचालन हेतु संस्था प्रधान के प्रभार के संबंध में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये जाते हैं:–

1. किसी भी उप्रावि/प्रावि में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर कार्मिक कार्यरत होने की स्थिति में संस्था प्रधान का दायित्व/प्रभार उसके पास रहेगा।
2. व.अ. का पद रिक्त/स्वीकृत नहीं होने की स्थिति में वरिष्ठतम अध्यापक पद पर कार्यरत कार्मिक द्वारा संस्था प्रधान के दायित्व का निर्वहन किया जावेगा।
3. वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक का पद रिक्त होने की स्थिति में शारीरिक शिक्षक तथा शारीरिक शिक्षक का पद रिक्त होने की स्थिति में वरिष्ठतम प्रबोधक द्वारा संस्था प्रधान के दायित्व का निर्वहन किया जायेगा ।
4. उपर्युक्तानुसार बिन्दु संख्या 1 से 3 तक के अलावा अन्यथा स्थिति होने पर वरिष्ठतम शिक्षाकर्मी/पैराटीचर /ट्रेनी अध्यापक के पद पर कार्यरत कार्मिक द्वारा संस्था प्रधान के दायित्व का निर्वहन किया जायेगा।

कार्मिक की वरिष्ठता का निर्धारण सम्पूर्ण सेवावधि के आधार पर होगा।

निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/एबी/विद्या.व्यव./2017–18/ दिनांकः 20/01/2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1– उप निदेशक, प्रा.शि. समस्त ।
2– जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. समस्त ।
3– कार्यालय प्रति ।

निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर